



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



सीबीएसई/एलओसी/2021/

16 सितंबर, 2021

सेवा में,
सीबीएसई से संबद्ध सभी विद्यालयों
के प्रधानाचार्य/प्रमुख

विषय: कक्षा दसवीं/बारहवीं परीक्षा, 2021-22 के लिए अभ्यर्थी सूची (एलओसी) की प्रस्तुति।

महोदया/महोदय

यह दिनांक 16 अगस्त, 2021 के पत्र क्रमांक सीई/सीबीएसई/एलओसी/2021 के क्रम में है जिसमें स्कूलों को परीक्षा-2021-2022 के लिए एलओसी/अभ्यर्थी सूची जमा करने के लिए तैयारी करने का निर्देश दिया गया था। तदनुसार, पात्र अभ्यर्थियों के एलओसी के माध्यम से डाटा संग्रहण की गतिविधि के लिए सुविधा 17 सितम्बर 2021 से उपलब्ध कराई जा रही है। एलओसी की प्रस्तुति सीबीएसई की वेबसाइट <https://cbse.gov.in> में दिए गए ई-परीक्षा लिंक के माध्यम से की जाएगी।

चूंकि इस वर्ष अनुसूची के अनुसार एलओसी जमा करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि टर्म -1 परीक्षा नवंबर / दिसंबर, 2021 में आयोजित की जाएगी, इसलिए, स्कूलों से अनुरोध है कि वे अभ्यर्थियों के डेटा को समय पर जमा करने की योजना बनाएं। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि भरा गया डेटा सही हो।

अभ्यर्थियों की सूची में छात्रों के पंजीकरण के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जानी है: -

1. कई ऐसी जानकारियां हैं, जिन्हें समझे बिना स्कूल एलओसी को सही तरीके से नहीं भर पाएंगे। अतः अनुरोध है कि प्रधानाचार्यगण इस परिपत्र को व्यक्तिगत रूप से पढ़ें और इसे समझें और उसके बाद एलओसी को भरें।

2. विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि:-

- प्रायोजित छात्र उनके स्वयं के नियमित और वास्तविक छात्र हैं
- किसी भी वास्तविक छात्र का नाम अप्रायोजित नहीं छोड़ा गया है
- छात्र किसी भी अनधिकृत / असंबद्ध स्कूलों से नहीं हैं
- छात्र नियमित रूप से कक्षाओं में भाग ले रहे हैं
- छात्र किसी अन्य स्कूल शिक्षा बोर्ड के साथ पंजीकृत नहीं हैं।

स्कूलों को केवल उनके अपने अभ्यर्थियों को प्रायोजित करना चाहिए।

इस संदर्भ में, कृपया संबद्धता उपविधि 2018 के तहत पैरा 14.2 में दिए गए प्रावधान देखें, जो इस प्रकार हैं:-

"प्रत्येक संबद्ध स्कूल के लिए बोर्ड के परीक्षा उप-विधि का यथावश्यक परिवर्तन सहित पालन करना अनिवार्य है।

14.2.1 प्रत्येक संबद्ध स्कूल बोर्ड द्वारा निर्धारित तरीके से शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के समय कक्षा IX, X, XI और XII के संबंध में छात्रों की संख्या और उनके विवरण की एक सूची प्रस्तुत करेगा।

14.2.2 कोई भी संबद्ध स्कूल ऐसे अभ्यर्थियों को बोर्ड की परीक्षा में प्रस्तुत नहीं करेगा जो इसकी नामावली में नहीं हैं।

14.2.3 कोई भी संबद्ध स्कूल उन अभ्यर्थियों को बोर्ड की परीक्षा में प्रस्तुत नहीं करेगा जो किसी असंबद्ध स्कूल/शाखा की नामावली में हैं।

14.2.4 कोई भी संबद्ध स्कूल बोर्ड की परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थियों को प्रस्तुत नहीं करेगा जो इसकी नामावली में हैं, लेकिन नियमित रूप से स्कूल नहीं गए हैं या बोर्ड की परीक्षा में उपस्थित होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति की आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं।

14.2.5 प्रत्येक संबद्ध स्कूल नियमित रूप से बिना किसी ब्रेक के संबद्धता/उन्नयन प्रदान करते समय उल्लेखित वर्ष से बोर्ड की दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं में अपने वास्तविक और पात्र छात्रों को नियमित रूप से प्रायोजित करेगा या लिखित में कारणों के साथ अभ्यर्थियों को प्रायोजित न करने के बारे में समय पर सूचित करेगा।



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



14.2.6 बोर्ड से संबद्ध स्कूल किसी अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को नहीं भेजेगा। यह केवल सीबीएसई की माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को तैयार करेगा।"

3. सभी स्कूलों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अभ्यर्थियों के पंजीकरण, कक्षा कमरों और शिक्षकों की उपलब्धता के लिए सीबीएसई के नियमों का सही अर्थों में पालन किया जा रहा है। एक सेक्शन में 40 छात्रों की अनुमति है, हालांकि, प्रति सेक्शन 1.5 शिक्षकों के आधार पर, प्रति सेक्शन छात्रों की संख्या 45 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, सेक्शन की संख्या बोर्ड द्वारा अनुमति दिए गए सेक्शन की संख्या से अधिक नहीं हो सकती है।

4. सीबीएसई से संबद्ध सभी स्कूलों को ऑनलाइन प्रस्तुति करने के लिए आगे बढ़ने से पहले स्वयं को पंजीकृत करना आवश्यक है। स्कूलों को उनके पास पहले से उपलब्ध 'संबद्धता संख्या' का उपयोग यूजर आईडी के रूप में करना चाहिए।

5. नए संबद्ध स्कूलों को पासवर्ड प्राप्त करने के लिए सीबीएसई के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए, जिसके बाद स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य में उपयोग के लिए पासवर्ड बदल दें और दुरुपयोग से बचने के लिए इसे गोपनीय रखें। पासवर्ड की सुरक्षा बनाए रखना एकमात्र स्कूलों की जिम्मेदारी होगी।

6. बोर्ड "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016" में परिभाषित दिव्यांग अभ्यर्थियों को कई छूट/रियायतें प्रदान कर रहा है, इस संदर्भ में, सेक्शन VIII का संदर्भ लें।

एलओसी ऑनलाइन जमा करने की विशेषताएं इस प्रकार हैं: -

1. एलओसी जमा करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, मौजूदा स्कूलों को ओएसिस और एचपीई पोर्टल पर डेटा अपडेट करना होगा।

2. केवल वे टीजीटी/पीजीटी जो क्रमशः कक्षा IX-X/XI-XII को पढ़ा रहे हैं, उन्हें गुणवत्तायुक्त मूल्यांकन के लिए पात्र मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति सुनिश्चित करने हेतु टीजीटी/पीजीटी के रूप में दिखाया जाना चाहिए। तदनुसार, OASIS में, पढ़ाई गई कक्षाओं को स्कूलों द्वारा स्पष्ट रूप से भरने की आवश्यकता है।

3. यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी शिक्षकों का पूरा नाम ओएसिस में भरा जाए। संक्षिप्ताक्षरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि संक्षिप्ताक्षर दिए जाते हैं तो यह माना जाएगा कि विद्यालयों द्वारा शिक्षकों का गलत डाटा उपलब्ध कराया गया है।

4. नए स्कूलों को निम्न करना होगा:-

(i) सबसे पहले OASIS पोर्टल पर जानकारी दर्ज करें।

(ii) उसके बाद, वे एचपीई पोर्टल पर डेटा प्रस्तुत करेंगे।

(iii) गतिविधि (i) और (ii) को पूरा करने के बाद, वे एलओसी डेटा जमा कर सकते हैं।

5. OASIS पर जानकारी बहुत सावधानी से भरी जानी चाहिए क्योंकि प्रस्तुति के बाद स्कूलों को छात्रों के घोषित सेक्शन/संख्या में बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. विद्यालय द्वारा प्रायोजित विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय में नियुक्त शिक्षकों की संख्या के अनुपात में होनी चाहिए। विद्यालय का दायित्व होगा कि वह प्रत्येक विषय में प्रायोजित अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को कार्यमुक्त करे।

7. स्कूल एलओसी डेटा को तभी अंतिम रूप दे पाएंगे जब उन्होंने पहले एचपीई पोर्टल पर डेटा प्रस्तुत किया हो। एचपीई पोर्टल का लिंक सीबीएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। एचपीई पोर्टल पर डेटा सफलतापूर्वक भरने के बाद एक पुष्टिकरण संख्या उत्पन्न होगी। स्कूलों से अनुरोध है कि भविष्य में संदर्भ के लिए इस पुष्टिकरण संख्या को सुरक्षित रखें।



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



8. जिन स्कूलों ने कक्षा IX/XI पंजीकरण में अपने छात्रों के फोटो और हस्ताक्षर अपलोड नहीं किए थे, उन्हें एलओसी अंतिम रूप से जमा करने से पहले इन्हें अपलोड करना होगा। नए संबद्ध स्कूलों को भी अपने वास्तविक छात्रों के फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने की सही प्रक्रिया संलग्नक-1 में दी गई है। सीबीएसई के आईटी एप्लीकेशन/पोर्टल के प्रभावी उपयोग के लिए स्कूलों में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और जनशक्ति की आवश्यकताएं सेक्शन XIV में दी गई हैं।

9. यह ध्यान दिया जाए कि दसवीं और बारहवीं कक्षा के लिए एलओसी जमा करते समय, स्कूल को उन्हीं छात्रों का डेटा दिखाया जाएगा जो उनके द्वारा पिछले वर्ष कक्षा IX और XI में उन्हें पंजीकृत करने के लिए जमा किया गया था। स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे उन छात्रों का विवरण "डिलीट" करें जो स्थानांतरण/अन्य कारणों से स्कूल से बाहर चले गए हैं। बोर्ड के नियमों के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से उचित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही स्कूल "सीधे प्रवेश" श्रेणी के तहत दसवीं/बारहवीं कक्षा में प्रवेश पाने वाले छात्रों को जोड़ सकते हैं।

10. स्कूलों को पंजीकरण प्रक्रिया केवल ऑनलाइन ही पूरी करनी होगी। एलओसी प्रस्तुति मॉड्यूल में डाउनलोड करने योग्य एक्सेल फ़ाइल में डेटा भरने की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

11. पिछले शैक्षणिक सत्र के दसवीं/बारहवीं कक्षा के छात्र जो संबंधित कक्षा में पुनः प्रवेश चाहते हैं, उन्हें पुनः प्रवेश मामलों के रूप में माना जाएगा और प्रत्यक्ष प्रवेश मामलों के लिए परिभाषित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि बोर्ड के नियमों के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से उचित अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

12. परीक्षा उप-विधि के नियम 6.1 (ए) (iii) के अनुसार, स्कूल यह सुनिश्चित करेगा कि एक कक्षा में प्रवेश चाहते समय, छात्र राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा निर्धारित और जहां स्कूल स्थित है, उस स्थान पर लागू शर्तों के अनुसार आयु सीमा (न्यूनतम और अधिकतम) की आवश्यकता को पूरा करता है।

13. कई संगठन और राज्य छात्रों की वित्तीय स्थिति के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान कर रहे हैं। तदनुसार, माता-पिता की वार्षिक आय के बारे में उनके द्वारा दी गई जानकारी एकत्र की जा सकती है। स्कूलों को माता-पिता से आईटीआर/अन्य आय प्रमाण आदि की मांग नहीं करनी चाहिए।

14. नई संबद्धता विधियों के अनुसार स्कूल ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में प्रयोगशाला की आवश्यकता वाले विषयों को छोड़कर किसी भी शैक्षणिक विषय की पेशकश कर सकते हैं। शैक्षणिक विषय जिनमें प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं है, उन्हें OASIS में अद्यतन करके पेश किया जा सकता है।

15. सीबीएसई परिपत्र संख्या ACAD-38/2021 के अनुसार, किसी भी स्तर पर कौशल विषय (विषयों) को शुरू करने के लिए संबद्ध स्कूलों को किसी औपचारिक अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

16. बोर्ड ने अध्ययन योजना निर्धारित की है जो माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं के लिए http://cbseacademic.nic.in/curriculum_2022.html लिंक पर पाठ्यचर्या में उपलब्ध है। स्कूलों से केवल अध्ययन योजना के अनुवर्तन में विषयों की पेशकश करना अपेक्षित है।

17. अध्ययन योजना के अनुसार बोर्ड ने विषयों के मान्य/अमान्य संयोजन की सूची निर्धारित की है। एलओसी में विषयों को भरने से पहले स्कूल को संलग्नक-2 (दसवीं कक्षा के लिए) और संलग्नक-3 (बारहवीं कक्षा के लिए) के अनुसार विषयों के संयोजन को जांच लेना चाहिए।

18. प्रत्येक शुल्क स्लैब के लिए सभी छात्रों का विवरण केवल एक लॉट में जमा किया जाना चाहिए। शुल्क स्लैब में डेटा को आंशिक रूप से जमा करने की अनुमति नहीं होगी। इसका अर्थ है, प्रत्येक स्लॉट में छात्रों की केवल एक सूची स्वीकार की जाएगी।



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



19. भुगतान/शुल्क की वापसी के मामले में, (धन) वापसी में देरी से बचने के लिए सीबीएसई शीघ्र ही एक दीर्घकालिक नीति जारी करेगा।

20. पहले के वर्षों में, स्कूलों को दसवीं/बारहवीं कक्षा के एलओसी के अंतिम रूप से तैयार डेटा की हस्ताक्षरित प्रति संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजने की आवश्यकता थी। 2021 से इस प्रक्रिति को समाप्त कर दिया गया है। अब एलओसी को प्रधानाचार्य के आधार से जुड़े ई-हस्ताक्षर के साथ दिए गए सिस्टम पर अपलोड किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि अपलोड किया गया डेटा पूरी तरह से सही है। इसकी अंतिम रूप से प्रस्तुति के बाद सीबीएसई द्वारा डेटा को अपडेट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

21. इस वर्ष से अपलोड किए गए डेटा में सुधार के लिए कोई विंडो उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। सही डाटा अपलोड करना संबंधित स्कूल की जिम्मेदारी है।

22. प्राइवेट/द्वितीय अवसर कम्पार्टमेंट के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा करने का लिंक अलग से उपलब्ध कराया जाएगा।

23. अब एलओसी ऑनलाइन जमा करने के लिए लगभग 2 सप्ताह का समय दिया जा रहा है। स्कूल अपनी सुविधा के अनुसार डेटा अपलोड कर सकते हैं लेकिन केवल शेड्यूल के भीतर। वे कई अवसरों पर डेटा अपलोड कर सकते हैं और इसे सहेज/संचित कर सकते हैं। हालांकि, उन्हें शुल्क के साथ अंतिम तिथि पर या उससे पहले डेटा जमा करना होगा। डेटा जमा करने के बाद किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।

24. ऑन-लाइन प्रस्तुति निर्धारित तिथियों पर मध्यरात्रि 11.59 बजे बंद हो जाएगी। इसलिए, स्कूलों को सलाह दी जाती है कि किसी अन्य आधार पर या उपांतिम (अंतिम से ठीक पहले के) दिन पर भारी लोड के कारण सर्वर से कनेक्ट न होने/धीमे कनेक्शन की संभावना से बचने के लिए एलओसी की समय पर ऑनलाइन प्रस्तुति करना पूर्ण कर लें।

25. प्रत्येक गतिविधि के लिए अंतिम तिथि निर्धारित है और अंतिम तिथि में कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। इसलिए, स्कूलों से अनुरोध है कि वे निर्धारित तिथि और समय के भीतर गतिविधि को पूरा करें।

26. एलओसी जमा करने के बाद, बोर्ड द्वारा विषय परिवर्तन, कक्षा-X और XII में प्रवेश (स्थानांतरण मामलों को छोड़कर) और सीडब्ल्यूएसएन के लिए रियायतों के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

27. किसी प्रकार की कठिनाई होने पर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क किया जाए।

डाटा अपलोड करते समय स्कूल निम्नलिखित सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे:-

1. छात्र/माता/पिता/अभिभावक के नाम की वर्तनी सही है और स्कूल द्वारा बनाए गए प्रवेश और निकासी रजिस्टर के अनुसार है।

2. जन्म तिथि सही है और स्कूल द्वारा बनाए गए प्रवेश और निकासी रजिस्टर के अनुसार है।

3. विषय संयोजन सही हैं और अध्ययन की योजना के अनुसार हैं।

4. विषय कोड को सावधानी से चुना जाना चाहिए और विशेष रूप से निम्नलिखित विषयों में कोड को सही ढंग से चुना जाना चाहिए:

(i) कक्षा - X में: हिंदी - ए (002), हिंदी - बी (085), उर्दू ए (003), उर्दू बी (303), गणित स्टैंडर्ड (041), गणित बेसिक (241)।

(ii) कक्षा -XII में: हिंदी कोर (302), हिंदी इलेक्टिव (002), अंग्रेजी कोर (301), अंग्रेजी इलेक्टिव (001), संस्कृत कोर (322), संस्कृत इलेक्टिव (022), उर्दू कोर (303), उर्दू इलेक्टिव (003)।

ओएसिस (OASIS) में डेटा जमा करना:-





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



स्कूल ओएसिस (OASIS) में भी पिछली पद्धति के अनुसार, 29.09.2021 तक डेटा जमा करेंगे।

यह अपेक्षा की जाती है कि स्कूल दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ेंगे, छात्रों का सही डेटा एकत्र करेंगे और उसे सही ढंग से भी जमा करेंगे। सही डेटा अपलोड करने के उनके प्रयास अभ्यर्थियों को सही विषय के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने और सही विवरण के साथ दस्तावेज़ उपलब्ध कराने में सहायक होंगे जिससे परिणाम घोषित होने के बाद अभ्यर्थियों के व्यक्तिगत डेटा में सुधार के मामलों में भी कमी आएगी।

कार्यालय समय के दौरान किसी भी प्रश्न या सहायता के लिए, कृपया <https://www.cbse.gov.in/cbsenew/contact-us.html> लिंक पर जाएं।

भवदीय

(डॉ. संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



कक्षा X/XII की अभ्यर्थी सूची के लिए शुल्क और अनुसूची

कक्षा X					
शुल्क स्लैब	प्रति विद्यार्थी अदा किया जाने वाला शुल्क (भारतीय रुपए में)		एलओसी की ऑनलाइन प्रस्तुति की अनुसूची	शुल्क के भुगतान के लिए अनुसूची	टिप्पणी
	भारत में स्कूल	भारत के बाहर स्कूल			
सामान्य शुल्क के साथ	05 विषयों के लिए प्रति अभ्यर्थी 1500 रुपए	05 विषयों के लिए प्रति अभ्यर्थी 10000 रुपए	17.09.2021 से 30.09.2021	17.09.2021 से 01.10.2021	एलओसी केवल ऑनलाइन जमा होगी। सीबीएसई को कोई हार्ड प्रति नहीं भेजनी है।
	दिल्ली के सरकारी विद्यालयों के अ. जा. /अ.ज. जा. अभ्यर्थियों के लिए 05 विषयों के लिए प्रति अभ्यर्थी 1200 रुपए				
	प्रति अभ्यर्थी अतिरिक्त/ वैकल्पिक विषय के लिए 300 रुपए	प्रति अभ्यर्थी अतिरिक्त/ वैकल्पिक विषय के लिए 2000 रुपए			
विलंब शुल्क सहित	प्रति अभ्यर्थी 2000 रुपए के विलंब शुल्क सहित अंतिम तिथि (निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त)		01.10.2021 से 09.10.2021	01.10.2021 से 10.10.2021	
प्रवास प्रमाणपत्र	प्रति अभ्यर्थी 350 रुपए				



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



- दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को दसवीं/बारहवीं कक्षा के परीक्षा शुल्क से छूट दी गई है।
- विलंब शुल्क की गणना के लिए उदाहरण: -

शुल्क, शुल्क अनुसूची के अनुसार लागू होगा अर्थात जिस तिथि को डेटा को अंतिम रूप दिया जाता है उसे शुल्क गणना के लिए लिया जाता है

(i) यदि छात्रों के विवरण को 30.09.2021 को या उससे पहले दर्ज किया जाता है और अंतिम रूप दिया जाता है और शुल्क को 01.10.2021 को या उससे पहले जमा किया जाता है तब कोई विलंब शुल्क लागू नहीं होगा।

(ii) यदि छात्रों के विवरण 30.09.2021 को या उससे पहले दर्ज किया जाता है और डेटा को अंतिम रूप 30.09.2021 के बाद दिया जाता है तब विलंब शुल्क लागू होगा।

(iii) यदि छात्रों के विवरण को 30.09.2021 को या उससे पहले दर्ज किया जाता है और अंतिम रूप दिया जाता है और शुल्क का 01.10.2021 के बाद भुगतान किया जाता है, तब भी विलंब शुल्क लागू होगा।



“शिक्षा केन्द्र”, 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
“SHIKSHA KENDRA” 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



कक्षा XII					
शुल्क स्लैब	प्रति विद्यार्थी अदा किया जाने वाला शुल्क (भारतीय रुपए में)		एलओसी की ऑनलाइन प्रस्तुति की अनुसूची	शुल्क के भुगतान के लिए अनुसूची	टिप्पणी
	भारत में स्कूल	भारत के बाहर स्कूल			
बिना विलंब शुल्क	05 विषयों के लिए प्रति अभ्यर्थी 1500 रुपए	05 विषयों के लिए प्रति अभ्यर्थी 10000 रुपए	17.09.2021 से 30.09.2021	17.09.2021 से 01.10.2021	एलओसी केवल ऑनलाइन जमा होगी। सीबीएसई को कोई हार्ड प्रति नहीं भेजनी है।
	दिल्ली के सरकारी विद्यालयों के अ. जा. /अ.ज. जा. अभ्यर्थियों के लिए 05 विषयों के लिए प्रति अभ्यर्थी 1200 रुपए				
	प्रति अभ्यर्थी अतिरिक्त/ वैकल्पिक विषय के लिए प्रति विषय 300 रुपए	प्रति अभ्यर्थी अतिरिक्त/ वैकल्पिक विषय के लिए प्रति विषय 2000 रुपए			
प्रैक्टिकल शुल्क	प्रति अभ्यर्थी प्रत्येक प्रैक्टिकल विषय के लिए 150 रुपए	प्रति अभ्यर्थी प्रत्येक प्रैक्टिकल विषय के लिए 350 रुपए			
विलंब शुल्क सहित	प्रति अभ्यर्थी 2000 रुपए के विलंब शुल्क सहित अंतिम तिथि (निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त)		01.10.2021 से 09.10.2021	01.10.2021 से 10.10.2021	
प्रवास प्रमाणपत्र	प्रति अभ्यर्थी 350 रुपए				

• दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को दसवीं/बारहवीं कक्षा के परीक्षा शुल्क से छूट दी गई है।

• विलंब शुल्क की गणना के लिए उदाहरण: -

शुल्क, शुल्क अनुसूची के अनुसार लागू होगा अर्थात् जिस तिथि को डेटा को अंतिम रूप दिया जाता है उसे शुल्क गणना के लिए लिया जाता है



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



- (i) यदि छात्रों के विवरण को 30.09.2021 को या उससे पहले दर्ज किया जाता है और अंतिम रूप दिया जाता है और शुल्क को 01.10.2021 को या उससे पहले जमा किया जाता है तब कोई विलंब शुल्क लागू नहीं होगा।
- (ii) यदि छात्रों के विवरण 30.09.2021 को या उससे पहले दर्ज किया जाता है और डेटा को अंतिम रूप 30.09.2021 के बाद दिया जाता है तब विलंब शुल्क लागू होगा।
- (iii) यदि छात्रों के विवरण को 30.09.2021 को या उससे पहले दर्ज किया जाता है और अंतिम रूप दिया जाता है और शुल्क का 01.10.2021 के बाद भुगतान किया जाता है, तब भी विलंब शुल्क लागू होगा।



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



शुल्क का भुगतान

(ए) सीबीएसई द्वारा सभी गतिविधियों के लिए शुल्क केवल निम्नलिखित डिजिटल भुगतान माध्यमों द्वारा स्वीकार किया जाता है: -

भारत में - डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / NEFT / RTGS
विदेश - डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / SWIFT

(बी) फीस के भुगतान से पहले, स्कूल चेक लिस्ट के रूप में एलओसी का प्रिंट ले सकते हैं। एक बार शुल्क का भुगतान करने के बाद, अंतिम एलओसी मुद्रित की जाएगी, और उसके बाद ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में कोई सुधार नहीं किया जा सकता है।

(सी) चूंकि स्विफ्ट अपडेशन में 2-3 दिन लग सकते हैं, इसलिए, भारत के बाहर स्थित स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे शुल्क के भुगतान सहित अपनी प्रक्रिया को इस तरह से पूरा करें कि उनकी प्रक्रिया अंतिम तिथि से पहले समाप्त हो जाए।

(डी) बैंक से संबंधित लेनदेन या सर्वर पर शुल्क अद्यतन न होने के मामले में, स्कूलों को संबंधित बैंक से संपर्क करना चाहिए जिसके माध्यम से भुगतान किया गया था। बैंकों का संपर्क विवरण सीबीएसई की वेबसाइट पर दिया गया है। आम तौर पर, बैंक को शुल्क अद्यतन न होने के मामले को हल करने के लिए निम्नलिखित जानकारी की आवश्यकता होगी, इसलिए इसे बैंक से संपर्क करने से पहले तैयार रखें: -

- (i) भुगतान का तरीका
- (ii) शुल्क संदर्भ संख्या
- (iii) जमा की गई राशि
- (iv) जमा करने की तिथि
- (iv) शाखा जहां राशि जमा की गई थी
- (v) बैंक संदर्भ संख्या (बैंक खाते में दर्शाई गई लेनदेन आईडी)
- (vi) आपका संपर्क नंबर



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



संलग्नक-1

फोटोग्राफ की स्कैनिंग और अपलोडिंग के लिए चरण

फोटो का प्रकार

- कोई पिक्सल न दिखाई दे, इसके लिए फोटो पूर्ण रंग में और उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए।
- फोटो पिछले 6 महीनों में लिया गया होना चाहिए।
- सिर सीधे कैमरे के सामने होना चाहिए, यह केंद्रित हो और 80% छवि निर्मित करता हो। फोटो बालों के थोड़ा ऊपर से छाती के मध्य भाग तक खींची हुई होनी चाहिए।
- एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति रखें - मुस्कुराने की अनुमति है।
- व्यक्ति (अभ्यर्थी) स्पष्ट फोकस में हो और पृष्ठभूमि से अलग दिखाई दे। सॉलिड कलर की पृष्ठभूमि सर्वोत्तम है।
- आंखें खुली रखनी चाहिए और कैमरे को देखना चाहिए। चश्मे को रंगा नहीं जाना चाहिए जब तक कि इसे चिकित्सा प्रयोजनों के लिए दैनिक रूप से न पहना जाए।
- व्यक्ति का पूरा चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए।



फोटो अपलोड करने की विधि

पंजीकरण/एलओसी पोर्टल में फोटोग्राफ अपलोड करने के दो तरीके हैं:

- एकल फोटो स्कैनिंग विधि
- एकाधिक फोटो स्कैनिंग विधि

1. एकल फोटो स्कैनिंग विधि

- अभ्यर्थी की फोटोग्राफ को स्कैन करें और इसे एक jpg फ़ाइल के रूप में संचित करें
- कृपया सुनिश्चित करें कि फोटो का साइज़ पासपोर्ट आकार का है, व 40 केबी की सीमा के भीतर है
- अभ्यर्थी की पंजीकरण संख्या के साथ फोटोग्राफ संचित करें / सहेजें
- सभी फोटोग्राफ को एक फोल्डर में इकट्ठा करें
- सीबीएसई की वेबसाइट पर जाएं और पंजीकरण/एलओसी पोर्टल में लॉगिन करें
- फोटो अपलोड विकल्प पर जाएं
- उस कक्षा का चयन करें जिसके लिए फोटोग्राफ अपलोड किया जाना है और सूची उत्पन्न करें/बनाएं
- प्रत्येक अभ्यर्थी के सामने दिए गए ब्राउज बटन पर क्लिक करें
- फोल्डर से फोटोग्राफ का चयन करें और अपलोड बटन पर क्लिक करें
- उपरोक्त चरण को तब तक दोहराएं जब तक कि सभी तस्वीरें अपलोड न हो जाएं

2. एकाधिक फोटो स्कैनिंग विधि

- सुनिश्चित करें कि सभी फोटोग्राफ एक ही आकार की हैं
- सादे कागज पर बॉक्स (एक पंक्ति में 04 या 05 फोटो के लिए) बनाएं और बॉक्स में फोटो चिपकाएँ और पृष्ठ को स्कैन करें।
- अब स्कैन की हुई jpg फाइल को फोटोशॉप/पेंट या किसी इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर में खोलें
- पूरी छवि को 1500x1200 पिक्सल में पुनः आकार दें
- इमेज सिलेक्शन टूल द्वारा स्कैन की गई इमेज में से एक अभ्यर्थी का फोटो चुनें और इसे Ctrl+C . का उपयोग करके कॉपी करें
- इमेज एडिटर में एक नई फाइल खोलें और चयनित फोटोग्राफ पेस्ट करें
- नई फाइल को फोटोग्राफ फोल्डर में jpg फाइल के रूप में संचित करें। अभ्यर्थी की पंजीकरण संख्या पर इस फाइल को नाम दें।
- शीट में उपलब्ध सभी फोटोग्राफ के लिए इस चरण को दोहराएं।
- सीबीएसई की वेबसाइट पर जाएं और रजिस्ट्रेशन/एलओसी पोर्टल में लॉग-इन करें
- फोटो अपलोड विकल्प पर जाएं
- उस कक्षा का चयन करें जिसके लिए फोटोग्राफ अपलोड किया जाना है और सूची तैयार करें



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092





सत्यमेव जयते

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



- xii) प्रत्येक अभ्यर्थी के सामने दिए गए ब्राउज बटन पर क्लिक करें
- xiii) फोल्डर से फोटोग्राफ का चयन करें और अपलोड बटन पर क्लिक करें
- xiv) उपरोक्त चरण को दोहराएं जब तक कि सभी तस्वीरें अपलोड न हो जाएं

ध्यान दें:-

- i) यह जांचने के लिए कि सभी तस्वीरें सही ढंग से अपलोड की गई हैं, आप फोटोग्राफ के साथ चेक लिस्ट तैयार कर सकते हैं
- ii) सुधार के मामले में, आप फोटोग्राफ पुनः अपलोड कर सकते हैं
- iii) फोटो को अंतिम तिथि तक बदला जा सकता है
- iv) अंतिम रूप देने के बाद फोटोग्राफ नहीं बदली जा सकतीं



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

Phone (off.) : 011-22509256-59, 22041807-08, Website: www.cbse.gov.in, www.cbse.nic.in





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



संलग्नक-2
(क्रमांक 16)

अध्ययन योजना

शैक्षणिक सत्र 2021-2022 के लिए माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (कक्षा X)

कक्षा IX और X एक एकीकृत पाठ्यक्रम है। छात्र दसवीं कक्षा में केवल उन्हीं विषयों का अध्ययन करेंगे जो उन्होंने कक्षा-नौवीं में पढ़े हैं। छात्र न्यूनतम 5 विषयों की पेशकश निम्नानुसार कर सकते हैं:-

विषय		विषय का नाम
अनिवार्य	विषय 1	भाषा I (हिंदी ए या हिंदी -बी या अंग्रेजी भाषा और साहित्य (ग्रुप एल)
	विषय 2	विषय 1 पर चुनी हुई भाषा से अलग भाषा II (भाषाओं के समूह से कोई एक (ग्रुप एल)
	विषय 3	गणित स्टैंडर्ड (ग्रुप -ए 1) या गणित बेसिक
	विषय 4	विज्ञान
	विषय 5	सामाजिक विज्ञान
वैकल्पिक	विषय 6	कौशल विषय (कौशल विषयों के समूह से) (ग्रुप -S)
	विषय 7	भाषा III (ग्रुप -एल)/ उपर्युक्त लिए गए विकल्प से अलग कोई शैक्षणिक विषय (ग्रुप-ए 2)
आंतरिक आकलन के विषय	विषय 8 और 9 (विद्यालय स्तर पर आकलन और प्रमाणन)	कला शिक्षा स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा

महत्वपूर्ण अनुदेश:

(ए) यदि कोई छात्र तीन अनिवार्य शैक्षणिक विषयों (अर्थात विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान) में से किसी एक में अनुत्तीर्ण हो जाता है और कौशल विषय (छठे वैकल्पिक विषय के रूप में प्रस्तावित) में उत्तीर्ण हो जाता है, तो उस विशेष अनिवार्य विषय को कौशल विषय से बदल दिया जाएगा और दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के परिणाम की संगणना तदनुसार की जाएगी।

(बी) यदि कोई छात्र पहले पांच विषयों में से किसी भी भाषा विषय में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसे सातवें विषय (वैकल्पिक) के रूप में ली गई भाषा से बदल दिया जाएगा, बशर्ते उसने सातवां भाषा विषय उत्तीर्ण किया हो, और प्रतिस्थापन के बाद हिंदी या अंग्रेजी पहले पांच विषयों में उत्तीर्ण भाषा के रूप में बनी हुई है।

(सी) यह अपेक्षा की जाती है कि सभी छात्रों ने आठवीं कक्षा तक तीन भाषाओं का अध्ययन किया होगा। वे छात्र जो आठवीं कक्षा में तीसरी भाषा को उत्तीर्ण नहीं कर सके और नौवीं कक्षा में प्रोन्नत हो गए हैं, उनका संबंधित स्कूलों द्वारा कक्षा IX के अंत में उसी पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में परीक्षण किया जाएगा जो कक्षा आठवीं के लिए निर्धारित हैं। जो अभ्यर्थी अभी भी नौवीं कक्षा के अंत में तीसरी भाषा को उत्तीर्ण करने में असमर्थ हैं, उन्हें दसवीं कक्षा में एक और अवसर दिया जा सकता है।

(डी) हिंदी और अंग्रेजी की पेशकश की जाने वाली तीन भाषाओं में से दो होनी चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी कम से कम आठवीं कक्षा तक पढ़ी होनी चाहिए।



“शिक्षा केन्द्र”, 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
“SHIKSHA KENDRA” 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



(ई) हिंदी या अंग्रेजी कक्षा IX और X में अध्ययन की जाने वाली दो भाषाओं में से एक होनी चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी एक साथ भी पेश की जा सकती हैं। छात्रों की अलग-अलग पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, हिंदी में कक्षा IX और X के लिए दो पाठ्यक्रम प्रदान किए गए हैं और एक छात्र या तो हिंदी A (कोड 002) या हिंदी B (कोड 085) का विकल्प ले सकता है।

(एफ) अतिरिक्त छठे कौशल विषय को लेने वाले छात्र 7वें विषय के रूप में एक अतिरिक्त भाषा III/विषय भी ले सकते हैं।

(जी) जहां कहीं सीबीएसई द्वारा अभ्यर्थियों की संख्या प्रतिबंधित की गई है, स्कूल अभ्यर्थियों की संख्या ऐसी सीमा से अधिक नहीं कर सकता है। ऐसे मामलों में, यदि आवश्यक हो, तो उचित प्रक्रिया अपनाकर सम्बद्धता इकाई से पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

(एच) बोर्ड ने अध्ययन योजना निर्धारित की है जो माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं के लिए http://cbseacademic.nic.in/curriculum_2022.html लिंक पर पाठ्यचर्या में उपलब्ध है। स्कूलों को केवल अध्ययन योजना के अनुवर्तन में विषयों की पेशकश करना आवश्यक है।

(आई) बोर्ड "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016" में परिभाषित दिव्यांग अभ्यर्थियों को कई छूट/रियायतें प्रदान कर रहा है। इस संदर्भ में, बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना CBSE/Coord/112233/2019 दिनांक 12.04.2019 लिंक <http://cbse.gov.in/newsite/attach/CWSN%20April%202019.pdf> पर उपलब्ध है।

(जे) बोर्ड प्रत्येक विषय में अलग से प्राप्त अंकों को इंगित करते हुए अंक पत्रक सह प्रमाण पत्र जारी करता है। बोर्ड द्वारा कुल स्कोर/प्रतिशत का उल्लेख नहीं किया गया है। अभ्यर्थी जो 6/7 विषय लेते हैं और सभी 6/7 विषयों में उत्तीर्ण होते हैं, प्रतिशत की गणना उस महाविद्यालय/ संस्थान के मानदंडों के अनुसार की जाती है जिसमें अभ्यर्थी प्रवेश लेना चाहता है।

(के) यह अतीत में देखा गया है कि अभ्यर्थी द्वारा लिए गए विषयों और स्कूल में पढ़ाए जा रहे विषयों में भिन्नता है। डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, स्कूल द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में विषय कोड और विषय के नाम की सावधानीपूर्वक जांच अवश्य की जानी चाहिए।

(एल) यदि अध्ययन योजना का उल्लंघन होता है, तो अपलोड किया गया डेटा अपलोड करने के बाद सर्वर पर त्रुटि दिखाएगा। सही विषय संयोजन चुनने के बाद ही त्रुटि सुधार किया जाएगा।





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



कक्षा X के लिए विषय संयोजन के उदाहरण

मान्य विषय संयोजन	
<p>मामला 1</p> <p>विषय 1: 184 अंग्रेजी भाषा और साहित्य</p> <p>विषय 2: 085 हिंदी कोर्स बी</p> <p>विषय 3: 041 गणित</p> <p>विषय 4: 086 विज्ञान</p> <p>विषय 5: 087 सामाजिक विज्ञान</p> <p>विषय 6: 401 रिटेल</p> <p>विषय 7: 006 तमिल</p>	<p>मामला 2</p> <p>विषय 1: 184 अंग्रेजी भाषा और साहित्य</p> <p>विषय 2: 002 हिंदी कोर्स-ए</p> <p>विषय 3: 041 गणित</p> <p>विषय 4: 086 विज्ञान</p> <p>विषय 5: 087 सामाजिक विज्ञान</p> <p>विषय 7: 122 संस्कृत</p>
<p>मामला 3</p> <p>विषय 1: 002 हिंदी कोर्स ए</p> <p>विषय 2: 009 मराठी</p> <p>विषय 3: 041 गणित</p> <p>विषय 4: 086 विज्ञान</p> <p>विषय 5: 087 सामाजिक विज्ञान</p> <p>विषय 6: 403 सिक्युरिटी</p> <p>विषय 7: 004 पंजाबी</p>	<p>मामला 4</p> <p>विषय 1: 184 अंग्रेजी भाषा और साहित्य</p> <p>विषय 2: 006 तमिल</p> <p>विषय 3: 041 गणित</p> <p>विषय 4: 086 विज्ञान</p> <p>विषय 5: 087 सामाजिक विज्ञान</p>
<p>मामला 5</p> <p>विषय 1: 184 अंग्रेजी भाषा और साहित्य</p> <p>विषय 2: 002 हिंदी कोर्स ए</p> <p>विषय 3: 041 गणित</p> <p>विषय 4: 086 विज्ञान</p> <p>विषय 5: 087 सामाजिक विज्ञान</p>	
अमान्य विषय संयोजन	
<p>मामला 1</p> <p>विषय 1: 002 हिंदी कोर्स ए</p> <p>विषय 2: 004 पंजाबी</p> <p>विषय 3: 041 गणित</p> <p>विषय 4: 086 विज्ञान</p> <p>विषय 5: 087 सामाजिक विज्ञान</p> <p>विषय 6: 402 सूचना प्रौद्योगिकी</p> <p>विषय 7: 165 कंप्यूटर एप्लीकेशन अमान्य</p>	<p>मामला 2</p> <p>विषय 1: 002 हिंदी कोर्स ए</p> <p>विषय 2: 021 रूसी</p> <p>विषय 3: 041 गणित</p> <p>विषय 4: 086 विज्ञान</p> <p>विषय 5: 087 सामाजिक विज्ञान</p> <p>विषय 6: 401 रिटेल</p> <p>विषय 7: 404 ऑटोमोटिव अमान्य</p>
<p>मामला 3</p> <p>विषय 1: 018 फ्रेंच</p> <p>विषय 2: 006 तमिल अमान्य</p> <p>विषय 3: 041 गणित</p> <p>विषय 4: 086 विज्ञान</p> <p>विषय 5: 087 सामाजिक विज्ञान</p>	



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



शैक्षणिक सत्र 2021-2022 के लिए कक्षा X विषय कोड और विषय के नाम सूची

भाषाएं (ग्रुप-एल)		अनिवार्य शैक्षणिक विषय (ग्रुप-ए 1)	
कोड	नाम	कोड	नाम
002	हिंदी कोर्स ए	041	गणित स्टैन्डर्ड
085	हिंदी कोर्स बी -कोई एक	241	गणित बेसिक -कोई एक
184	अंग्रेजी भाषा और साहित्य	086	विज्ञान
003	उर्दू कोर्स ए	087	सामाजिक विज्ञान
303	उर्दू कोर्स बी -कोई एक		
004	पंजाबी	अन्य शैक्षणिक विषय (ग्रुप-ए 2)	
005	बंगाली	031	कर. संगीत (वॉकल)
006	तमिल	032	कर. संगीत मेल. इन्स.
007	तेलुगु	033	कर. संगीत पर. इन्स -कोई एक
089	तेलुगु तेलंगाना -कोई एक	034	हिंदी संगीत (वॉकल)
008	सिंधी	035	हिंदी संगीत मेल. इन्स.
009	मराठी	036	हिंदी संगीत पर. इन्स.
010	गुजराती		
011	मणिपुरी	049	पेंटिंग
012	मलयालम	064	होम साइंस
013	ओडिया	076	नेशनल कडेट कॉर्पस (एनसीसी)
014	असमिया	154	एलिमे. ऑफ बिजनेस
		254	एलीमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड एकाउंटेन्सी -कोई एक
015	कन्नड़	165	कंप्यूटर एप्लीकेशन
016	अरबी	कौशल विषय (ग्रुप -S) (कोई एक)	
017	तिब्बती	401	रिटेलिंग
018	फ्रेंच	402	सूचना प्रौद्योगिकी
020	जर्मन	403	सिक्स्युरिटी
021	रूसी	404	ऑटोमोटिव
023	पर्सियन	405	इन्ट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट
024	नेपाली	406	इन्ट्रोडक्शन टू टूरिसम
025	लिंबु	407	ब्यूटी एंड वेलनेस
026	लेपचा	408	एग्रीकल्चर
092	बोडो	409	खाद्य उत्पादन
093	तांगखुल	410	फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन्स
094	जापानी	411	बैंकिंग एण्ड इंसुरेन्स
095	भूटिया	412	मार्केटिंग एंड सेल्ज़
096	स्पैनिश	413	हेल्थ केयर
097	कश्मीरी	414	अपैरल
098	मिज़ो	415	मल्टीमीडिया
099	बहासा मेलायु	416	मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स
122	संस्कृत	417	आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस
131	राय	418	फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर (नया)
132	गुरांग		
133	तमांग		



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092





सत्यमेव जयते

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



134	शेरपा		
136	थाई		



एक कदम स्वच्छता की ओर

"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092



Phone (off.) : 011-22509256-59, 22041807-08, Website: www.cbse.gov.in, www.cbse.nic.in



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



अध्ययन योजना

संलग्नक 3
(क्रमांक 16)

शैक्षणिक सत्र 2021-2022 के लिए वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा (कक्षा XII)

ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा एक एकीकृत पाठ्यक्रम है। छात्र बारहवीं कक्षा में केवल उन्हीं विषयों का अध्ययन करेंगे, जो उन्होंने कक्षा-XI में पढ़े हैं। छात्र न्यूनतम 5 विषयों की पेशकश निम्नानुसार कर सकते हैं: -

विषय		विषय का नाम
अनिवार्य	विषय 1	हिंदी इलेक्टिव या हिन्दी कोर अथवा अंग्रेजी इलेक्टिव या अंग्रेजी कोर
	विषय 2	विषय 1 के रूप में नहीं चुने गए विषय ग्रुप -एल से कोई एक भाषा या शैक्षणिक इलेक्टिव विषयों (ग्रुप-ए) में से कोई एक विषय
	विषय 3 विषय 4 व विषय 5	शैक्षणिक इलेक्टिव विषयों (ग्रुप-ए) में से कोई तीन विषय या स्किल ग्रुप-S से कोई तीन विषय या ग्रुप- ए और ग्रुप-S के संयोजन में से कोई तीन विषय।
अतिरिक्त विषय वैकल्पिक	विषय 6	ऊपर नहीं चुने गए किसी भी विषय ग्रुप में से कोई एक विषय
आंतरिक आकलन के विषय	विषय 7 से 9 (नियमित अभ्यर्थियों द्वारा लिए जाने वाले आंतरिक आकलन के विषय)	500 – कार्य अनुभव 502 – स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा 503 – सामान्य अध्ययन

सामान्य निर्देश

ए. ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में पढ़ाई जाने वाली दो भाषाओं में से एक हिंदी या अंग्रेजी होनी चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी भी एक साथ पेश की जा सकती हैं। छात्रों की अलग-अलग पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के लिए हिंदी और अंग्रेजी में दो पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं और छात्र या तो हिंदी इलेक्टिव (कोड 002) या हिंदी कोर (कोड 302) और अंग्रेजी इलेक्टिव (कोड -01) या अंग्रेजी कोर (कोड -301) का विकल्प चुन सकते हैं। हालाँकि, कोर और वैकल्पिक दोनों स्तरों पर एक ही भाषा की पेशकश नहीं की जा सकती है।

बी. निम्नलिखित संयोजनों को एक साथ नहीं लिया जा सकता है;

(i) निम्नलिखित तीन कंप्यूटर विज्ञान/आईटी संबंधित विषयों में से एक अभ्यर्थी केवल एक विषय का चयन कर सकता है:-

- (ए) इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस (कोड 065),
- (बी) कंप्यूटर विज्ञान (कोड 083),
- (सी) सूचना प्रौद्योगिकी (कोड 802)



“शिक्षा केन्द्र”, 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
“SHIKSHA KENDRA” 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



(ii) बिजनेस स्टडीज (कोड 054) और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (कोड 833) को एक साथ नहीं लिया जा सकता है।

सी. यदि किसी छात्र ने 6 विषय लिए हैं, और यदि वह पहले पांच विषयों में से किसी एक में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसे छठे विषय से बदल दिया जाएगा, बशर्ते अभ्यर्थी अध्ययन योजना को पूरा करता हो अर्थात् छठे विषय के प्रतिस्थापन के बाद, हिंदी या अंग्रेजी मुख्य पांच विषयों में से एक के रूप में बनी हुई है।

डी. अभ्यर्थी, जो 6 विषय (5 मुख्य और 1 अतिरिक्त विषय) लेते हैं और सभी 6 विषयों में उत्तीर्ण होते हैं, प्रतिशत की गणना नियोक्ता/संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा उस संस्थान/विश्वविद्यालय/नियोक्ता के मानदंडों के अनुसार की जाएगी जहां अभ्यर्थी प्रवेश/रोजगार चाहता होगा।

इ. जिन अभ्यर्थियों ने ग्यारहवीं कक्षा में 5/6 विषयों का चयन किया है और शैक्षणिक / चिकित्सा कारणों से बारहवीं कक्षा में विषय (विषयों) को बदलना / जोड़ना / हटाना चाहते हैं, ऐसे मामलों को संबंधित स्कूल द्वारा शैक्षणिक वर्ष के 7 सितंबर तक केवल एक लॉट में सीबीएसई के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाना चाहिए। स्कूलों से अपेक्षा की जाती है कि वे छात्रों द्वारा प्रस्तुत विषयों और स्कूल में पढ़ाए जा रहे विषयों का सही होना सुनिश्चित करें। प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए अपलोड किया गया डेटा हर प्रकार से सटीक होना चाहिए।

एफ. स्कूल द्वारा विद्यार्थियों को केवल उन्हीं विषयों की पेशकश की जा सकती है, जिनके लिए सीबीएसई का अनुमोदन लिया गया है।

जी. विवरण के लिए कृपया लिंक http://cbseacademic.nic.in/curriculum_2022.html पर पाठ्यचर्या देखें।

एच. सीबीएसई के पास स्टीम की अवधारणा नहीं है। छात्र पाठ्यक्रम में सूचीबद्ध और संबंधित स्कूल में उपलब्ध विषयों में से 01 भाषा और 4/5 विषय ले सकता है। स्कूल अपने प्रबंधन द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार छात्रों को प्रवेश देते हैं।





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



कक्षा XII के लिए विषय संयोजन के उदाहरण

मान्य विषय संयोजन

<p>मामला 1</p> <p>विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर</p> <p>विषय 2: 041 गणित</p> <p>विषय 3: 042 भौतिकी</p> <p>विषय 4: 043 रसायन विज्ञान</p> <p>विषय 5: 048 शारीरिक शिक्षा</p>	<p>मामला 6</p> <p>विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर</p> <p>विषय 2: 302 हिंदी कोर</p> <p>विषय 3: 042 भौतिकी</p> <p>विषय 4: 043 रसायन विज्ञान</p> <p>विषय 5: 041 गणित</p>
<p>मामला 2</p> <p>विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर</p> <p>विषय 2: 048 शारीरिक शिक्षा</p> <p>विषय 3: 042 भौतिकी</p> <p>विषय 4: 043 रसायन विज्ञान</p> <p>विषय 5: 044 जीव विज्ञान</p>	<p>मामला 7</p> <p>विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर</p> <p>विषय 2: 055 अकाउंटेंसी</p> <p>विषय 3: 054 बिजनेस स्टडीज़</p> <p>विषय 4: 030 अर्थशास्त्र</p> <p>विषय 5: 302 हिंदी कोर</p>
<p>मामला 3</p> <p>विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर</p> <p>विषय 2: 302 हिंदी कोर</p> <p>विषय 3: 027 इतिहास</p> <p>विषय 4: 029 भूगोल</p> <p>विषय 5: 028 राजनीति विज्ञान</p> <p>विषय 6: 039 समाजशास्त्र</p>	<p>मामला 8</p> <p>विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर</p> <p>विषय 2: 302 हिंदी कोर</p> <p>विषय 3: 042 भौतिकी</p> <p>विषय 4: 043 रसायन विज्ञान</p> <p>विषय 5: 044 जीव विज्ञान</p>
<p>मामला 4</p> <p>विषय 1: 002 हिन्दी इलेक्टिव</p> <p>विषय 2: 055 अकाउंटेंसी</p> <p>विषय 3: 054 बिजनेस स्टडीज़</p> <p>विषय 4: 030 अर्थशास्त्र</p> <p>विषय 5: 048 शारीरिक शिक्षा</p>	<p>मामला 9</p> <p>विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर</p> <p>विषय 2: 055 अकाउंटेंसी</p> <p>विषय 3: 054 बिजनेस स्टडीज़</p> <p>विषय 4: 041 गणित</p> <p>विषय 5: 030 अर्थशास्त्र</p>
<p>मामला 5</p> <p>विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर</p> <p>विषय 3: 041 गणित</p> <p>विषय 4: 042 भौतिकी</p> <p>विषय 5: 043 रसायन विज्ञान</p> <p>विषय 6: 083 कंप्यूटर विज्ञान</p>	<p>मामला 10</p> <p>विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर</p> <p>विषय 2: 055 अकाउंटेंसी</p> <p>विषय 3: 054 बिजनेस स्टडीज़</p> <p>विषय 4: 030 अर्थशास्त्र</p> <p>विषय 5: 065 इन्फॉर्मेटिक्स प्रक्टिस</p>



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



अमान्य विषय संयोजन

<p>मामला 1 विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर विषय 2: 042 भौतिकी विषय 3: 043 रसायन विज्ञान विषय 4: 065 इन्फॉर्मेटिक्स प्रक्टिस - अमान्य विषय 5: 083 कंप्यूटर विज्ञान</p>	<p>मामला 2 विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर विषय 2: 041 गणित विषय 3: 042 भौतिकी विषय 4: 049 पेंटिंग विषय 5: 050 ग्राफिक्स - अमान्य</p>
<p>मामला 3 विषय 1: 322 संस्कृत कोर -अमान्य विषय 2: 104 पंजाबी विषय 3: 027 इतिहास विषय 4: 029 भूगोल विषय 5: 028 राजनीति विज्ञान विषय 6: 039 समाजशास्त्र</p>	<p>मामला 4 विषय 1: 302 हिंदी कोर विषय 2: 002 हिंदी इलेक्टिव -अमान्य विषय 3: 041 गणित विषय 4: 042 भौतिकी विषय 5: 043 रसायन विज्ञान</p>
<p>मामला 5 विषय 1: 302 हिंदी कोर विषय 2: 812 मार्केटिंग विषय 3: 816 हॉर्टिकल्चर -अमान्य विषय 4: 830 डिजाइन विषय 5: 839 अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान</p>	

- पीडब्ल्यूडी के लिए, कृपया अधिसूचना का संदर्भ ग्रहण करें।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



शैक्षणिक सत्र 2021-2022 के लिए कक्षा XII विषय कोड और विषय के नाम की सूची

ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा एक एकीकृत पाठ्यक्रम है। छात्रों को 11वीं में केवल उन्हीं विषयों को लेना चाहिए, जिन्हें वे कक्षा-12वीं में पढ़ने के इच्छुक हैं।

भाषाएं (ग्रुप-एल)		अनिवार्य शैक्षणिक विषय (विषय -ए)	
कोड	विषय	कोड	विषय
001	अंग्रेजी इलेक्टिव	027	इतिहास
301	अंग्रेजी कोर -कोई एक		
002	हिंदी इलेक्टिव	028	राजनीति विज्ञान
302	हिंदी कोर -कोई एक		
003	उर्दू इलेक्टिव	029	भूगोल
303	उर्दू कोर -कोई एक		
022	संस्कृत इलेक्टिव	030	अर्थशास्त्र
322	संस्कृत कोर -कोई एक		
104	पंजाबी	031	कर. संगीत (वॉकल)
105	बंगाली	032	कर. पर. इन्स मृदंगम
106	तमिल		
107	तेलुगु	033	हिंदी संगीत (वॉकल)
189	तेलुगु तेलंगाना -कोई एक		
108	सिंधी	034	हिंदी संगीत मेल. इन्स.
109	मराठी	035	हिंदी संगीत पर. इन्स.
110	गुजराती	036	
111	मणिपुरी	037	मनोविज्ञान
112	मलयालम	039	समाजशास्त्र
113	ओडिया	041	गणित
		241	अनुप्रयुक्त गणित -कोई एक
114	असमिया	042	भौतिकी
115	कन्नड़	043	रसायन शास्त्र
116	अरबी	044	जीव विज्ञान
		045	जैव प्रौद्योगिकी -कोई एक
117	तिब्बती	046	इंजीनीरिंग ग्राफिक्स
118	फ्रेंच	048	शारीरिक शिक्षा
120	जर्मन	049	पेंटिंग
121	रूसी	050	ग्राफिक्स - कोई एक
		051	स्कल्चर
123	पर्शियन	052	एप्प/कॉमर्शियल आर्ट
124	नेपाली	054	बिजनेस स्टडीज
125	लिंबु	055	एकाउंटेन्सी
126	लेपचा	056	कथक- नृत्य
192	बोडो	057	भरतनाट्यम - नृत्य
193	तांगखुल	058	कुचिपुडी - नृत्य -कोई एक
194	जापानी	059	ओडिसी - नृत्य
195	भूटिया	060	मणिपुरी - नृत्य



“शिक्षा केन्द्र”, 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
“SHIKSHA KENDRA” 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092





सत्यमेव जयते

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



196	स्पेनिश	061	कथकली - नृत्य
197	कश्मीरी	064	होम साइंस
198	मिज़ो	065	इंफोरमेटिक्स प्रक. (नया)
		083	कंप्यूटर साइंस -कोई एक
		066	उद्यमिता
		073	नॉलेज ट्रेडीशन एवं प्रक्टिसेज ऑफ इंडिया
		074	विधि अध्ययन
		076	नेशनल कडेट कॉर्पस (एनसीसी)



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



कौशल विषय (ग्रुप एस)

कोड	नाम	कोड	नाम
801	रिटेल	822	टैक्सेशन
802	सूचना प्रौद्योगिकी	823	कोस्ट एकाउंटिंग
803	वेब एप्लीकेशन	824	ऑफिस प्रोसेजर एंड प्रेक्टीसेज
804	ऑटोमोटिव	825	शॉर्टहैंड (अंग्रेजी)
805	फाइनेन्शियल मार्केट मैनेजमेंट	826	शॉर्टहैंड (हिंदी)
806	टूरिज़्म	827	एयर-कंडीशन एंड रेफ्रीजरेशन
807	ब्यूटी एंड वेलनेस	828	मेडिकल डायग्नोस्टिक्स
808	एग्रीकल्चर	829	टेक्सटाइल डिजाइन
809	फूड प्रोडक्शन	830	डिजाइन
810	फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन्स	831	सेल्ज़मैनिशिप
811	बैंकिंग	833	बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन
812	मार्केटिंग	834	फूड न्यूट्रीशन एंड डाइटेटिक्स
813	हेल्थ केयर	835	मास मीडिया स्टडीज
814	इन्श्युरन्स	836	लाइब्रेरी एंड इनफॉर्मेशन साइंस
816	होर्टिकल्चर	837	फैशन स्टडीज
817	टाइपग्राफी एंड कंप्यूटर अनुप्रयोग	841	योग
818	जिओसपेशियल प्रौद्योगिकी	842	अर्ली चाइल्डहूड केयर एंड एडयूकेशन
819	इलेक्ट्रिकल प्रौद्योगिकी	843	आर्टिफिसियल इंटेलीजेंस (नया)
820	इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी		
821	मल्टीमीडिया		



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



x और xii के लिए अभ्यर्थियों की सूची को ऑनलाइन भरने के लिए प्रक्रिया

विवरणों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए क्रम से 1 से 11 तक निम्नलिखित चरणों को पालन किया जाना है। x और xii अभ्यर्थियों की सूची (एलओसी) को प्रस्तुत करने के लिए की जाने वाली गतिविधियों का सारांश:-

चरण	अभ्यर्थियों की सूची के लिए गतिविधियां	गतिविधि की प्रकृति
1	एचपीई पोर्टल पर स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा डाटा प्रस्तुतिकरण	ऑनलाइन
2	लॉग-इन	ऑनलाइन
3	पोर्टल से ix और xi के पिछले वर्ष पंजीकृत अभ्यर्थियों की जांच सूची का मुद्रण	ऑनलाइन
4	x और xii के लिए अभ्यर्थियों की सूची के लिए अभ्यर्थियों के विवरण की जांच करना क. जांच सूची को जाँचना और जांच सूची पर सुधार अंकित करना <ul style="list-style-type: none"> अभ्यर्थियों के विवरण में सुधार अभ्यर्थियों को शामिल करना (प्रदर्शन में सुधार के लिए/नए प्रवेश/कक्षा X/xii में अन्य स्कूलों से स्थानांतरण मामले /वे जिन्होंने x/xii में अर्हता प्राप्त नहीं की हो /उत्तीर्ण हों परन्तु नियमित अभ्यर्थी के रूप में सभी 5/6/7 विषयों में परीक्षा देने के इच्छुक हों), यदि कोई हों तो अभ्यर्थियों को हटाना (अन्य स्कूलों से स्थानांतरण मामले, कक्षा ix/xi में अनुत्तीर्ण) अभ्यर्थी को प्रवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है या नहीं 	मैनुअल
	ख. जांच सूची में अंकित सुधार पोर्टल पर दर्शाया जाना चाहिए	ऑनलाइन
5	पोर्टल पर फोटोग्राफ सहित अभ्यर्थी विवरण में सुधार, यदि कोई हो तो	ऑनलाइन
6	पोर्टल से ix और xi अभ्यर्थियों की सूची की जांच सूची का मुद्रण	ऑनलाइन
7	फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करना	ऑनलाइन
8	डाटा को अंतिम रूप से तैयार करना	ऑनलाइन
9	शुल्क भुगतान	ऑनलाइन
10	अभ्यर्थियों की अंतिम सूची का मुद्रण	ऑनलाइन

नोट:

- लॉग-इन:** केवल पंजीकृत स्कूलों को लॉग-इन करने की अनुमति दी जाएगी।
- पोर्टल से पिछले वर्ष पंजीकृत अभ्यर्थियों की जांच सूची का मुद्रण अर्थात**
 - पिछले वर्ष कक्षा ix / कक्षा xi के समय पंजीकरण के लिए स्कूल द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों का विवरण पोर्टल पर उपलब्ध है।
 - इस सूची का शीर्षक होगा 'पिछले वर्ष पंजीकृत और कक्षा x/xii परीक्षाओं के लिए पात्र अभ्यर्थियों की जांच सूची' ।
 - स्कूल अभ्यर्थियों के उपलब्ध विवरण की सूची का प्रिंट लेगा। सभी तरह के हाशिए को 0.25 तक सेट करने के साथ लैंडस्केप प्रिंटिंग सहित ए4 आकार के लिए प्रिंटिंग सेटिंग तय की जाएगी।
 - अगले चरण में जाने से पहले स्कूल इन 2 सूचियों का प्रिंट लेगा।

3. अभ्यर्थियों की सूची (एलओसी) के लिए अभ्यर्थियों के विवरण की जांच करना

क. चेक लिस्ट और जांच सूची पर अंकित किए जाने वाले सुधार की जांच करना:

- प्रिंट की गई जांच सूची में पिछले वर्ष ix/xi छात्रों, जो अब x/xii में उपस्थित होंगे, का डाटा होगा।





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



- ख. स्कूल मूल दाखिले और निकासी रजिस्टर (एडब्ल्यूआर), अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए विषय कोड और विषय नाम से सूची में छात्र विवरण की जांच करेगा। जांच बिन्दु में प्रिंट की गई अभ्यर्थी की फोटोग्राफ की भी जांच की जानी है। कोई भी सुधार/जोड़ना/हटाना हो, उसे जांच सूची में अंकित किया जाना है।
- ग. स्कूल सुनिश्चित करें कि अभ्यर्थी/माता/पिता, लिंग, श्रेणी, जन्मतिथि विषय इत्यादि के नामों में वर्तनी से संबंधित सभी सुधारों की जांच की गई है और उसे जांच सूची में अंकित किया गया है।
- घ. यदि कुछ छात्रों को जोड़ने और कुछ छात्रों को हटाने की आवश्यकता है तो स्कूल को पहले छात्रों को हटाना चाहिए क्योंकि यह छात्रों को जोड़ने के लिए जगह बनाएगा।

ख. अभ्यर्थियों को हटाना:

हटाने का कारण	हटाने का कोड
कक्षा IX/XI में अनिवार्य पुनरावृत्ति	अनिवार्य पुनरावृत्ति
आपके स्कूल से अन्य स्कूलों में स्थानांतरण	स्थानांतरण

नोट: सर्वर पर रिमार्क कॉलम में हटाने के लिए कोड के अनुसार हटाने का कारण अवश्य देना चाहिए। इन अभ्यर्थियों का विवरण अवश्य नोट किया जाना चाहिए।

ग. अभ्यर्थियों को शामिल करना

शामिल करने का कारण	शामिल करने का कोड
नया प्रवेश- अन्य सीबीएसई संबद्ध स्कूलों से स्थानांतरण- उन स्कूलों से स्थानांतरण जो सीबीएसई से संबद्ध नहीं	स्थानांतरण
	सीधे
प्रदर्शन में सुधार- वह जो X/XII में अर्हता प्राप्त हैं/ उत्तीर्ण है और सभी विषयों ने प्रदर्शन में सुधार के लिए उपस्थित होंगे	सुधार
वे जिन्होंने पहले कक्षा X/XII में अर्हता प्राप्त नहीं की और पुनः सभी विषयों को दोहरा कर नियमित अभ्यर्थी के रूप में उपस्थित होंगे	अनिवार्य पुनरावृत्ति

महत्वपूर्ण:

- स्कूल अभ्यर्थियों को शामिल करने के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से अनुमति लेगा।
- संबंधित स्कूल से पोर्टल पर अभ्यर्थियों की संख्या अद्यतन के पश्चात क्षेत्रीय कार्यालय अनुमति देगा।
- पोर्टल पर रिमार्क कॉलम में शामिल करने के कोड के अनुसार शामिल करने का कारण अवश्य देना चाहिए। इन अभ्यर्थियों का विवरण अवश्य नोट करना चाहिए।

सीबीएसई ने डीजीलॉकर पर प्रवास प्रमाण पत्र की सॉफ्टप्रतियां प्रदान करने का ढांचा विकसित किया है। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि केवल उन छात्रों को प्रवास प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी जारी की जाएगी जिन्होंने उसके लिए बोर्ड से अनुरोध किया होगा अन्यथा जल्द ही परिणाम घोषित किया जाएगा और प्रवास प्रमाण पत्र की सॉफ्ट कॉपी डीजीलॉकर पर उपलब्ध कराई जाएगी। यह निर्णय उच्चतर शिक्षा प्रणाली में प्रवेश करने वाले छात्रों के लिए सहायक होगा जैसा कि उन्हें यह प्रस्तुत करना और दस्तावेजों के वेब सत्यापन में भी अपेक्षित है। प्रवास प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में शुल्क विवरण कक्षा X/XII शुल्क तालिका पर उल्लिखित है।

ड. अभ्यर्थियों की फोटोग्राफ: यदि गलत हो अथवा साफ दिखाई न दे /स्पष्ट नहीं हो अथवा उपलब्ध नहीं हो

- यदि जांच सूची में प्रिंट की गई फोटोग्राफ गलत अथवा धुंधली/पहचानने योग्य नहीं/ अथवा उपलब्ध नहीं है, स्कैनड फोटोग्राफ पुनः ऑनलाइन अपलोड की जानी है।
- सफ़ेद पृष्ठभूमि सहित फोटोग्राफ उच्च कॉन्ट्रास्ट की होनी चाहिए (अधिमानत: पासपोर्ट आकार में सफ़ेद और काले (रंग) में) फोटोग्राफ। फोटोग्राफ खींचने की तिथि सहित अभ्यर्थी का नाम फोटोग्राफ (फोटोग्राफ 01.04.2021 को या इसके बाद खींचा गया हो) पर अवश्य अंकित होना चाहिए।





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



- स्कैन किए गए फोटोग्राफ को फोटोग्राफ के फाइलनाम के रूप में पंजीकरण संख्या के साथ जेपीजी प्रारूप में संग्रहित किया जाना चाहिए। पंजीकरण संख्या चेक लिस्ट में अभ्यर्थी के विवरण के समक्ष छपी है। उदाहरणतः यदि अनिल कुमार का फोटोग्राफ (जिसका पंजीकरण क्रमांक A119/03001/0057 है) गलत है या साफ दिखाई नहीं देता/ स्पष्ट नहीं है या उपलब्ध नहीं है। अनिल कुमार के फोटोग्राफ को स्कैन करके A119030010057.jpg के रूप में संग्रहित किया जाना चाहिए।
- "फोटोग्राफ अपलोड करना" विकल्प का उपयोग करके फोटोग्राफ अपलोड किए जाएं।

च. चेक सूची में चिह्नित सुधार पोर्टल पर किए जाने हैं:

फोटोग्राफ अपलोड करने सहित चिह्नित सुधार सीबीएसई वेबसाइट से जुड़े कंप्यूटर/लैपटॉप पर टाइप करके "फोटोग्राफ सहित अभ्यर्थियों के विवरण में सुधार, यदि कोई हो" विकल्प चुनकर किए जाने चाहिए।

4. फोटोग्राफ सहित अभ्यर्थी के विवरण में सुधार, यदि कोई हो:

चेक लिस्ट में चिह्नित सुधार सर्वर पर निम्नानुसार किए जा सकते हैं:

ए. इस गतिविधि में तीन विकल्प हैं आशोधन/सुधार करें, जोड़ें और हटाएं।

i. सुधार करने के लिए आशोधन/सुधार करना:

यहाँ दो विकल्प हैं:

- अभ्यर्थी के नाम/ विषय में अन्य विवरण में व्यक्तिगत सुधार करने के लिए: अभ्यर्थी के पहले से प्रस्तुत विवरण में सुधार किया जा सकता है। चेक लिस्ट में अभ्यर्थी के विवरण के सामने मुद्रित क्रमांक टाइप किया जाए और अभ्यर्थी का विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। विशिष्ट विवरण के समक्ष आवश्यक सुधार/आशोधन टाइप किया जा सकता है।
- प्रवास प्रमाणपत्र के लिए बड़े पैमाने पर सुधार (एक समय में एक से अधिक अभ्यर्थियों के लिए सुधार) करना।

ii. जोड़ें: किसी भी छूटे हुए अभ्यर्थियों/ नए प्रवेश के विवरण जोड़ने के लिए।

iii. हटाएं: सूची से अभ्यर्थी के पहले से उपलब्ध विवरण को हटाने के लिए।

• चेक सूची पर मुद्रित अभ्यर्थी की क्रम संख्या दर्ज करें और अभ्यर्थी का विवरण प्रदर्शित होगा।

• विवरण हटाने के लिए 'हटाएं' बटन दबाएं

• एक बार हटाए गए विवरण को पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता है और यदि आवश्यक हो तो "जोड़ें" विकल्प का उपयोग करके पुनः दर्ज करना होगा।

(सीबीएसई के क्षेत्रीय अधिकारी अभ्यर्थियों के विवरण में किए गए सुधारों / परिवर्धन पर कड़ी नजर रखेंगे। स्कूलों को सलाह दी जाती है कि कक्षा IX/XI में पहले से पंजीकृत वास्तविक अभ्यर्थियों को ही कक्षा X/XII की एलओसी में प्रायोजित किया गया है। सुधार करते समय स्कूलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दसवीं/बारहवीं में प्रायोजित अभ्यर्थी की अदला-बदली कक्षा IX/XI में पंजीकृत किसी अन्य अभ्यर्थी से नहीं की गई है। उप-विषयों में सुधार करते समय (जहां IX/XI से विषय का परिवर्तन शामिल है) स्कूलों को सीबीएसई का अनुमोदन सुनिश्चित करना चाहिए। दसवीं/बारहवीं में सीधे प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में अभ्यर्थियों को जोड़ते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सीबीएसई का अनुमोदन प्राप्त किया गया है। यदि इस तरह के जोड़/ सुधार सीबीएसई से अपेक्षित अनुमोदन से समर्थित नहीं हैं, तो इस तरह के कदाचार में शामिल स्कूल के खिलाफ कार्रवाई के अलावा ऐसे छात्रों की दसवीं/बारहवीं बोर्ड परीक्षा में उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकती है।

बी "फोटोग्राफ के साथ अभ्यर्थी सूची (एलओसी) की चेकलिस्ट प्रिंटिंग" का विकल्प चुनकर पुनः अभ्यर्थियों की सूची की चेक लिस्ट प्रिंट करें।

5. फोटोग्राफ अपलोड करना



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



यदि अनिल कुमार का फोटोग्राफ गलत है या साफ दिखाई नहीं देता/स्पष्ट नहीं है या उपलब्ध नहीं है जिसका पंजीकरण क्रमांक A119/03001/0057 है। A11930010057.jpg के रूप में स्कैन और संग्रहीत अनिल कुमार के फोटोग्राफ को निम्नानुसार अपलोड किया जाना है:

- चेक लिस्ट पर मुद्रित अभ्यर्थी की क्रम संख्या दर्ज की जाए और अभ्यर्थी का विवरण और फोटोग्राफ, यदि सर्वर में उपलब्ध हो तो, प्रदर्शित होते हैं।
- स्कूल के कंप्यूटर में संग्रहीत इस अभ्यर्थी के फोटो को चुनकर इस अभ्यर्थी के फोटो अपलोड किए जाएं।

6. फोटोग्राफ के साथ अभ्यर्थी सूची (एलओसी) की चेक लिस्ट प्रिंटिंग:

ए. स्कूल के कंप्यूटर से जुड़े एक प्रिंटर का उपयोग करके स्कूल "फोटोग्राफ के साथ अभ्यर्थी सूची (एलओसी) की चेकलिस्ट प्रिंटिंग" का चयन करके अभ्यर्थियों के प्रस्तुत विवरण की एक सूची प्रिंट करेंगे।

बी. प्रिंटर सेटिंग्स को A4 आकार के पेपर के लिए लैंडस्केप प्रिंटिंग के साथ सभी ओर 0.25" के हाशिए पर सेट किया जा सकता है।

सी. इस सूची का शीर्षक होगा 'कक्षा _ की एलओसी के लिए अभ्यर्थियों की चेक लिस्ट'

7. डेटा को अंतिम रूप से तैयार करना (सुनिश्चित करें कि अंतिम रूप देने से पहले सभी सुधार किए गए हैं):

ए. जब सभी सुधार किए जा चुके हों और सूची त्रुटि मुक्त हो, तो डेटा को अंतिम रूप दिया जा सकता है। डेटा को अंतिम रूप देने का मतलब है कि अब तक जमा किए गए डेटा में कोई सुधार/हटाना/जोड़ना नहीं है यानी प्रस्तुत किए गए डेटा को त्रुटि मुक्त और अंतिम माना जाएगा।

बी. शुल्क अनुसूची के अनुसार शुल्क लागू होगा अर्थात जिस तिथि को डेटा को अंतिम रूप दिया जाता है उसे शुल्क गणना के उद्देश्य से लिया जाता है।

सी. डेटा को अंतिम रूप देने के बाद, और अभ्यर्थियों को जोड़ना संभव है बशर्ते विवरण जमा करने की तिथि समय सारिणी के भीतर हो और शुल्क अनुसूची के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा।

8. अभ्यर्थियों की अंतिम सूची का मुद्रण (एलओसी):

ए. स्कूल अभ्यर्थियों की जमा की गई अंतिम सूची का प्रिंट आउट ले लेंगे। अंतिम सूची में अभ्यर्थियों के विवरण को प्रिंट करने का प्रावधान है। शुल्क विवरण जमा किए बिना अंतिम सूची उत्पन्न नहीं की जा सकती है।

बी. नाम, पिता का नाम, माता का नाम सही होने की पुष्टि करने के लिए स्कूल माता के हस्ताक्षर, पिता के हस्ताक्षर और अभ्यर्थी के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा।

सी. इस सूची का शीर्षक 'कक्षा ----- के लिए अभ्यर्थियों की अंतिम सूची' होगा

डी. प्रिंटर सेटिंग्स को A4 आकार के पेपर के लिए लैंडस्केप प्रिंटिंग के साथ सभी ओर से 0.25" के हाशिए पर तय किया जा सकता है।

इ. अंतिम सूची में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर प्राप्त करें।





सत्यमेव जयते

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



स्कूलों के माध्यम से उपस्थिति होने वाले छात्रों की श्रेणी

बोर्ड की परीक्षा में बैठने के लिए पात्रता के विभिन्न नियमों के आधार पर, छात्रों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यह देखा गया है कि स्कूल एलओसी में गलत श्रेणियों का उल्लेख कर रहे हैं और इसलिए जब परिणाम घोषित किया जाता है, तो अभ्यर्थियों के परिणाम की गणना गलत तरीके से की जाती है। इसके बाद, स्कूल सीबीएसई से अनुरोध कर रहे हैं कि वह संबंधित अभ्यर्थी की श्रेणी में बदलाव करे और परिणाम भी ठीक करे।

यह स्कूलों के ध्यान में लाया जाता है कि छात्रों की निम्नलिखित 02 श्रेणियां हैं जिनका उल्लेख स्कूलों द्वारा एलओसी में किया जाएगा –

1. नियमित अभ्यर्थी - श्रेणी 'FS'

जो छात्र स्कूल के वास्तविक नियमित छात्र हैं और पहली बार परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे, उन्हें नियमित अभ्यर्थी कहा जाता है।

2. प्रदर्शन में सुधार - श्रेणी 'I'

पिछले वर्ष में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी केवल उत्तरवर्ती वर्ष में अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए उपस्थित हो सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी स्कूल के माध्यम से नियमित अभ्यर्थी या प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए नियमित छात्र के रूप में स्कूल में पढ़ने वाले अभ्यर्थी उन सभी विषयों में शामिल होंगे जिनमें वे पिछले वर्ष में उपस्थित हुए थे और उन्हें अपनी उपस्थिति की आवश्यकता को पूरा करना होगा। उनके पिछले वर्ष के प्रैक्टिकल/प्रोजेक्ट/आईए अंक आगे बढ़ाए जाएंगे।

3. अनुत्तीर्ण/अनिवार्य पुनरावृत्ति वाले अभ्यर्थी - श्रेणी ER

ए. अभ्यर्थी जो पिछले वर्ष में उपस्थित हुए हैं और जिन्हें 'FAIL/ESSENTIAL REPEAT' घोषित किया गया है, वे प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में या स्कूल के माध्यम से नियमित अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा के लिए पुनः उपस्थित हो सकते हैं। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए नियमित छात्र के रूप में विद्यालय में अध्ययनरत अभ्यर्थी अध्ययन योजना के अनुसार सभी विषयों में सम्मिलित होंगे और उन्हें अपनी उपस्थिति की आवश्यकता को पूरा करना होगा। वे प्रैक्टिकल/प्रोजेक्ट/आईए में भी उपस्थित होंगे।

बी. अभ्यर्थी जो पिछले वर्ष में उपस्थित हुए हैं और उन्हें 'कम्पार्टमेंट' घोषित किया गया है, वे संबंधित विषय की परीक्षा के लिए प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में पुनः उपस्थित हो सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी स्कूल के माध्यम से भी नियमित अभ्यर्थी के रूप में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन उन सभी विषयों में जिनमें वे पिछले वर्ष उपस्थित हुए थे। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए नियमित छात्र के रूप में स्कूल में पढ़ने वाले अभ्यर्थियों को अपनी उपस्थिति की आवश्यकता को पूरा करना होगा। वे प्रैक्टिकल/प्रोजेक्ट/आईए में भी उपस्थित होंगे।



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092

"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

